



संख्या : 2430 / जी०एस०(शिक्षा) / A11-270 / 2024

प्रेषक,

स्वाति एस० भदौरिया,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 24 अक्टूबर, 2024

महोदय,

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240112111327 दिनांक 12.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें गुरु नानक कॉलेज झाझरा चकराता रोड़, देहरादून को बी०बी०ए० एवं बी०सी०ए० पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव, कुलपति एवं नियामक संस्था की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	गुरु नानक कॉलेज झाझरा चकराता रोड़, देहरादून।	बी०बी०ए०	180 सीट	2024-25
		बी०सी०ए०	120 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- यू०सी०जी० विनियम, 2009 के उपनियम 3.4.7 में सम्बद्धता प्राप्ति से 03 माह की अवधि के भीतर फ़ैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय, संस्थान से इस उपनियम का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

I/2430/2024

I/2430/2024

Signed by Swati S
Bhadauria

Date: 24-10-2024 14:02:49

भवदीया,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : 2430 / जी0एस0(शिक्षा) / A11-270/2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

-६०-

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के अनुसचिव।